संख्या-470/2018/559/22-2-2018-17(129)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 31 मई, 2018**

विषय आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बउवा ऊर्फ राजेश पाण्डेय पुत्र स्व0 जगदीश पाण्डेय, निवासी जनपद-कानपुरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15023/प्रोबेशन-3 (एम-06-04-2018) दिनांक-16-04-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 16-04-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी बउवा ऊर्फ राजेश पाण्डेय पुत्र स्व0 जगदीश पाण्डेय, निवासी-ग्राम-पारा प्रतापपुर, थाना-बिठूर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। चक्रेश अवस्थी ने अभियुक्तगण के मकान के पास ही एक मकान अमूल हितकारी से खरीदा था जिस पर बन्दी व उसके 03 सहअभियुक्त कब्जा करना चाहते थे इसी रजिश में दिनांक 30-10-2001 को सांय 07:00 बजे लगभग रायफल, बन्दूक, तमंचा से चक्रेश व आशू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-527, **528** /2002 में भा0द0वि0 की धारा-**302**/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुरनगर के आदेश दिनांक 06.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-278/2004 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.11.2004 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 04-04-2018 तक 15 वर्ष 09 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने चक्रेश अवस्थी अमूल हितकारी से मकान खरीदने की रजिश में दिनांक 30-10-2001 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक, तमंचा से चक्रेश व आशू नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 48 वर्ष 05 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से अशक्त नहीं है की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बउवा ऊर्फ राजेश पाण्डेय पुत्र स्व0 जगदीश पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित मिस रिट याचिका संख्या-13262 (एम0बी0)/2018 राजेश पाण्डेय ऊर्फ बउवा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09-05-2018 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बउवा ऊर्फ राजेश पाण्डेय (बन्दी संख्या-15061) पुत्र स्व0 जगदीश पाण्डेय, निवासी जनपद-कानपुरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-470/2018/559(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद कानपुरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-470/2018/559/22-2-2018-17(129)/2018

दिनांक 31 मई, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बउवा ऊर्फ राजेश पाण्डेय (बन्दी संख्या-15061) पुत्र स्व0 जगदीश पाण्डेय, निवासी-ग्राम-पारा प्रतापपुर, थाना-बिठूर, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। चक्रेश अवस्थी ने अभियुक्तगण के मकान के पास ही एक मकान अमूल हितकारी से खरीदा था जिस पर बन्दी व उसके 03 सहअभियुक्त कब्जा करना चाहते थे इसी रजिश में दिनांक 30-10-2001 को सांय 07:00 बजे लगभग रायफल, बन्दूक, तमंचा से चक्रेश व आशू की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-527, **528** /2002 में भा0द0वि0 की धारा-**302**/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, कानपुरनगर के आदेश दिनांक 06.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-278/2004 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.11.2004 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 04-04-2018 तक 15 वर्ष 09 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 10 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने चक्रेश अवस्थी अमूल हितकारी से मकान खरीदने की रजिश में दिनांक 30-10-2001 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, बन्दूक, तमंचा से चक्रेश व आशू नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 48 वर्ष 05 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से अशक्त नहीं है की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बउवा ऊर्फ राजेश पाण्डेय पुत्र स्व0 जगदीश पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in